सामुदायिक रेडियो स्टेशन की दिक्कतें

फ्रेडरिक नरोन्हा

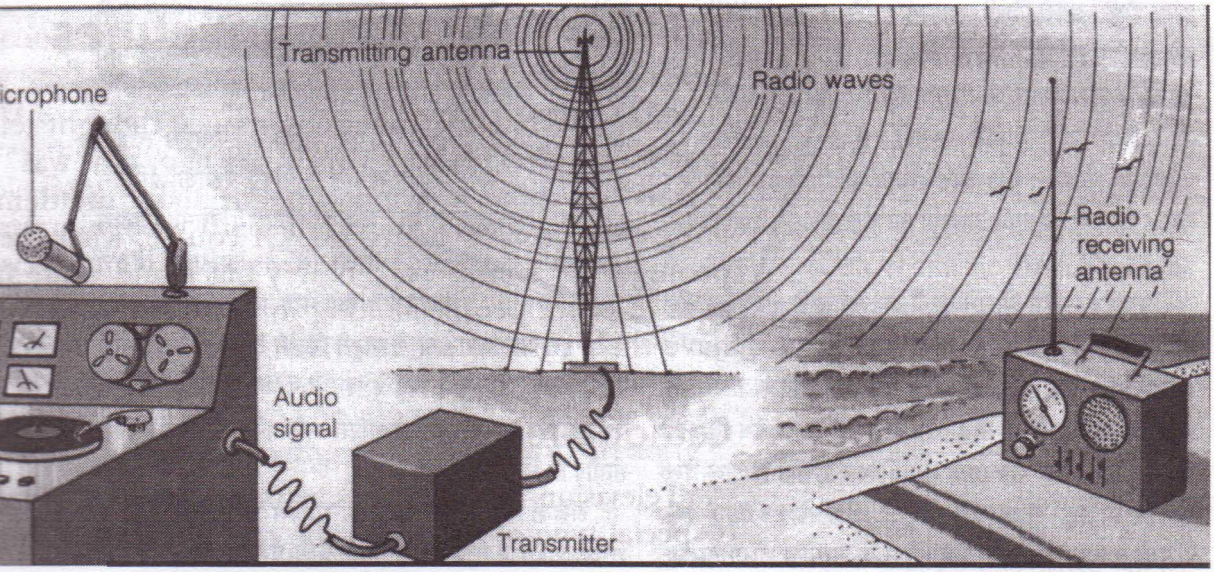

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से किसी आमदनी की उम्मीद न करें। फिर भी इन्हें लगाना लाभदायक है क्योंकि इनसे ऐसे लोगों को थोड़ी ताकत और बोलने की क्षमता मिलेगी जिनकी आवाज़ आज तक दबी हुई थी।

इस वर्ष के शुरू में केंद्र सरकार ने यह सम्भावना सामने रखी कि शिक्षा संस्थान अपना एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। यह रेडियो स्टेशन मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए और इससे खबरों का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। वैसे तो इसे सामुदायिक रेडियो कहा गया है मगर ऐसे रेडियो स्टेशन लगाने की पात्रता मात्र शिक्षा संस्थानों को होगी।

दक्षिण एशिया में, जहां साक्षरता दर कम है और गरीबी तथा क्षेत्रीय विविधता काफी अधिक है, वहां रेडियो एक उपयोगी टेक्नॉलॉजी साबित हो सकता है। खास तौर से भाषागत विविधता के मद्देनज़र तो रेडियो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। युनेस्को के एशिया क्षेत्र के संचार सलाहकार विजयानंद जयवीरा कहते हैं, "आपको एक पोर्टेबल रेडियो स्टेशन ढाई लाख रुपए में मिल जाएगा। पड़ोसी नेपाल में तो लुम्बिनी रेडियो जैसी सहकारी समितियां भी रेडियो स्टेशन चलाती हैं और मदनपोकरा में रेडियो स्टेशन का संचालन नगर पालिका करती है।"

अपनी आवाज़ को हवाओं में बिखेरने की कम से कम लागत कितनी होगी? बताते हैं कि यह लागत मात्र 100 रुपए तक हो सकती है। वेबसाइट http://www.radiophony.com पर आपको एक संचार केंद्र का ब्यौरा मिल जाएगा जिसे 100 रुपए में बनाया जा सकता है। इंजीनियर विक्रम कृष्णा कहते हैं कि यह सब सामान लेकर संचार केंद्र का निर्माण आपको खुद करना होगा। इस 100 रुपए में रिकॉर्डिंग की लागत शामिल नहीं है। मगर यह सही है कि भारत के कई इलेक्ट्रॉनिक बाज़ारों में रिकॉर्डिंग के भी काफी सस्ते विकल्प मिल जाएंगे।

यदि आप किसी रेडियो स्टेशन से पैसा कमाना चाहें, तो उसकी लागत ज़्यादा होती है। विक्रम कृष्णा के अनुसार ऐसे रेडियो स्टेशनों को ट्रांसमीटर, एन्टेना, रिकॉर्डर, माइक्रोफोन्स, संपादन के साधन, स्टूडियो, लायब्रेरी, मेनेजरों, प्रोड्यूसरों, एन्कर्स, बिक्री विशेषज्ञों वगैरह कई चीज़ों की

ज़रूरत होगी। मगर सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए तो बस माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर और एन्टेना चाहिए। इनकी कीमत 500 रुपए होगी। इनसे किसी आमदनी की उम्मीद न करें। मगर विक्रम कृष्णा के मुताबिक इन्हें लगाना फिर भी लाभदायक है क्योंकि "इनसे ऐसे लोगों को थोड़ी ताकत और बोलने की क्षमता मिलेगी जिनकी आवाज़ आज तक दबी हुई थी।"

कहा गया है कि कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण व सामुदायिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए और उनकी विषयवस्तु सामाजिक, सांस्कृतिक व स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहनी चाहिए। यानी इन रेडियो स्टेशनों से जो प्रसारण होगा उसे उबाऊ व नीरस बनाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है।

नागरिक मुहिम चलाने वालों का ख्याल है कि भारत में ऐसे कम शक्ति वाले हज़ारों सामुदायिक रेडियो स्टेशन देश भर में स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसा प्रत्येक स्टेशन 78.5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर कर सकता है। यानी भारत जैसे विशाल देश में लगभग 29 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 38,000 ऐसे रेडियो स्टेशन बन सकते हैं। इसका मतलब होगा करीब 7,80,000 चैनल्स। यदि इनमें से कुछ स्टेशन थोड़े अधिक शक्तिवाले हों, तो करीब 23,175 एफ.एम. स्टेशन्स के लिए पर्याप्त आवृत्तियां उपलब्ध होंगी। अर्थात् ऐसे रेडियो स्टेशनों की विपुल संभावना है।

कागज़ पर तो आज भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन लगाने व चलाने की अनुमति का प्रावधान है। मगर हकीकत में यह सस्ती टेक्नॉलॉजी अभी व्यावहारिक नहीं हो पाई है। इस साल के शुरू में केंद्र सरकार ने शिक्षा संस्थानों द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने सम्बंधी नियम कानून पेश किए। मगर लाइसेंस की कीमत को लेकर अस्पष्टता है। नियमों के तहत अभिजात्य शिक्षा संस्थानों को वरीयता मिलेगी। इसके अलावा, अन्य गैर-सरकारी रेडियो स्टेशनों के समान इन्हें भी समाचार प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।

ज़ाहिर है कि सरकार अभी भी गैर-सरकारी रेडियो स्टेशनों को शंका की नज़र से देखती है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 'सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस' 'सुस्थापित शिक्षा संस्थानों या केंद्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों को दिए जाएंगे।' इसमें एक स्पष्ट शर्त है - मनोरंजन चलेगा, खबरें नहीं। यह भी साफ नहीं है कि अनुमति प्राप्त करने का शुल्क क्या होगा। दरअसल अभी इस सम्भावना को साकार होने के मार्ग में कई बाधाएं हैं।

कम शक्ति का एफएम स्टेशन लगाने के लिए प्रत्येक आवेदन को गृह मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय में भेजा जाएगा। इन सारे मंत्रालयों से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि स्टेशन पर किसी विदेशी व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो, तो भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी।

रेडियो पर अपना कठोर नियंत्रण रखने के जोश में शायद सरकार ने उन्हीं लोगों के हाथ-पैर बांध दिए हैं जिन्हें प्रोत्साहन देने का वह दावा कर रही है। मसलन यह कहा गया है कि कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण व सामुदायिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए और उनकी विषयवस्तु सामाजिक, सांस्कृतिक व स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहनी चाहिए। यानी इन रेडियो स्टेशनों से जो प्रसारण होगा उसे उबाऊ व नीरस बनाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है।

वर्तमान नियम कायदे ऐसे हैं कि यह अवधारणा अव्यावहारिक ही रहेगी। सामुदायिक रेडियो को कमर्शियल्स या विज्ञापन प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। ठीक भी है। मगर दूसरी ओर उन्हें वायरलेस एडवाइज़र द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क अदा करना होगा। अभी इस शुल्क की राशि पता नहीं है। मगर सेंटर फॉर नॉलेज सोसायटीज़, बैंगलोर के महेश आचार्य का अनुमान है कि यह शुल्क 4 से 8 लाख रुपए के बीच हो सकता है।

लालफीताशाही भी एक अड़चन है। मार्च 2003 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने सूचना दी थी कि तब तक मात्र तीन शिक्षा संस्थानों ने इस तरह के

रेडियो स्टेशन स्थापित करने सम्बंधी आवेदन प्रस्तुत किए थे। मगर उनके आवेदनों को सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने एक प्रक्रियागत खामी की वजह से लौटा दिया। ज़ाहिर है अभी इस मामले में कई अड़चनें हैं।

हाल ही में सूचना व प्रसारण राज्यमंत्री ने संसद को सूचित किया कि 'प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को अपने आवेदन राज्य सरकार/भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्फत भेजना चाहिए। निम्नलिखित तीन संस्थानों ने अपने आवेदन सीधे सूचना व प्रसारण मंत्रालय को भेज दिए थे, जिन्हें लौटा दिया गया है - (1) श्री मानकुला विनयगर इंजीनियरिंग कॉलेज, पांडिचेरी; (2) मैलम इंजीनियरिंग कॉलेज, विल्लुपुरम, तमिलनाडु और (3) इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, ग्वालियर।

भारत में सामुदायिक रेडियो की त्रासदी का सबसे बड़ा उदाहरण तो 'माना रेडियो' (तेलगु में 'हमारा रेडियो') का है। यह आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा समर्थित व विश्व बैंक के फण्ड से चलने वाला एक कार्यक्रम था। कानून के तथाकथित उल्लंघन के कारण केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया। आंध्रप्रदेश के कर्नूल ज़िले के ओर्वाकल गांव में सोसायटी फॉर दी एलिमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी द्वारा संचालित ट्रांसमीटर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। कहा गया कि उनके पास प्रसारण का लाइसेंस नहीं था। माना रेडियो 2 अक्टूबर 2002 के दिन शुरू किया गया था। इससे हर सोमवार एक घण्टे का प्रसारण होता था। रिकॉर्डिंग व प्रसारण कार्य का प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को दिया गया था। इस प्रसारण में कुछ गीत तथा आसपास के विषयों पर चर्चा होती थी। सामुदायिक रेडियो को कानूनी दर्ज़ा देने के हिमायती लोगों का मत है कि आज भी हम 1885 के एक ब्रिटिश कानून के सहारे चल रहे हैं जिसमें प्रसारण उपकरण रखना भी गैर-कानूनी है। ओर्वाकल गांव के एक मकान की छत पर लगा वह 'रेडियो स्टेशन' एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर था। यह लगभग एक वर्ग कि.मी. में फैले पूरे गांव को कवर करता था। इसमें दो डिजिटल टेप रिकॉर्डर थे जो संपादन उपकरण का काम भी करते थे। गांव के लोग इस कार्यक्रम को 50 रेडियो सेट्स पर सुनते थे; ये सेट्स उन्हें मुफ्त मिले थे। इस कार्यक्रम से जुड़े इंजीनियर्स का कहना है कि इतनी कम शक्ति के ट्रांसमीटर के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि देश में इस तरह के कई सिस्टम्स खुले आम बिकते हैं - सार्वजनिक घोषणा के उपकरण, खिलौने वगैरह। लगता है कि एक आम नागरिक के लिए ध्वनि तरंगें मुक्त करना हमारे शासकों को खतरनाक लगता है।

(स्रोत विशेष फीचर्स)

स्रोत के पिछले अंक

स्रोत सजिल्द

150 रुपए में उपलब्ध हैं।

डाक से मंगवाने पर 25 रुपए अतिरिक्त।